

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल।

छात्रसंघ निर्वाचन 2025-26

डॉ० जयेन्द्र सिंह सजवाण  
मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
मो०न०- 9410706654

Phone/Fax No. 01376234964

प्र० पुष्पा नेगी  
प्राचार्य  
मो०न०- 9997017919

/मु०नि०अ०/छा०सं०नि०/2025-26

दिनांक- 20.09.2025

### निर्वाचन अधिसूचना

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नई टिहरी के समस्त नियमित (संस्थागत) छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि छात्रसंघ निर्वाचन सत्र 2025-26 का कार्यक्रम निम्नवत् निर्धारित किया जाता है-

#### पदों का विवरण

1. अध्यक्ष -01 2. उपाध्यक्ष - 01 3. सचिव -01 4. सह सचिव- 01(छात्राओं के लिए आरक्षित) 5. कोषाध्यक्ष - 01 (छात्राओं के लिए आरक्षित) 6. विश्वविद्यालय प्रतिनिधि -01

### कार्यक्रम

1. महाविद्यालय छात्र-संघ अधिसूचना- दिनांक 20.09.2025, शनिवार (सांय 05:00 बजे जारी)।
2. नामांकन प्रपत्रों की बिक्री - दिनांक 22.09.2025, सोमवार (प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक)।
3. नामांकन प्रपत्रों का दाखिला - दिनांक 23.09.2025, मंगलवार (प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक)।
4. नामांकन वापसी की तिथि - दिनांक 24.09.2025, बुधवार (प्रातः 10:00 बजे से मध्याह्न 12:00 बजे तक)।
5. नामांकन प्रपत्रों की जाँच - दिनांक 24.09.2025, बुधवार (मध्याह्न 12:30 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक)।
6. वैध प्रत्याशियों के नामों की अंतिम सूची-दिनांक 24.09.2025, बुधवार (अपराह्न 03:00 बजे/जाँचोपरान्त)।
7. मतदान तिथि /समय - दिनांक 27.09.2025, शनिवार (प्रातः 08:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक)
8. मतगणना - दिनांक 27.09.2025, शनिवार को अपराह्न 02:00 बजे से।
9. चुनाव परिणाम की घोषणा - दिनांक 27.09.2025, शनिवार मतगणना के पश्चात।
10. शपथ ग्रहण - दिनांक 27.09.2025, शनिवार को चुनाव परिणाम घोषित होने के पश्चात।

#### निर्देश

1. नामांकन पत्र निर्वाचन कार्यालय द्वारा निर्धारित पटल से प्राप्त किये जा सकते हैं।
2. प्रत्याशी तथा उसके प्रस्तावक एवं अनुमोदक को महाविद्यालय का नियमित/संस्थागत छात्र होना आवश्यक है। इस प्रमाण के लिए प्रत्याशी के प्रस्तावक व अनुमोदक स्वयं उपस्थित होकर अपने मूल शुल्क रसीद एवं परिचय पत्र की छायाप्रति को निर्वाचन समिति द्वारा नियुक्त प्रमाण पत्र सत्यापन समिति से सत्यापित कराकर नामांकन समिति के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे।
  - महाविद्यालय परिसर में केवल वैध परिचय पत्र वाले छात्र/छात्राओं को आने की अनुमति दी जायेगी।
  - मतदान प्रारम्भ होने के 24 घंटे पूर्व समस्त प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार करने पर पूर्णतः प्रतिबन्ध होगा।
  - चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी अथवा उसके समर्थक महाविद्यालय की किसी भी सम्पत्ति को नुकसान नहीं पहुंचावेंगे। ऐसा करने पर प्रत्याशी व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से जिम्मेदार होंगे।
  - नामांकन पत्र के साथ प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रतियाँ संलग्न कर जमा करावायी जानी आवश्यक है। सत्यापन समिति महाविद्यालय में उपलब्ध रहेगी।

3. प्रत्याशियों को शुल्क रसीद, हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट एवं स्नातक/स्नातकोत्तर समस्त कक्षाओं/ सेमेस्टरों की अंकतालिका एवं जन्मतिथि प्रमाण-पत्र (हाईस्कूल प्रमाण पत्र) मूल रूप से दिखानी आवश्यक होगी एवं प्रमाण-पत्र सत्यापन समिति से सत्यापित प्रतिलिपियाँ नामांकन पत्रों के साथ संलग्न करनी आवश्यक होगी। गैप वर्षों के लिए स्टाम्प पेपर पर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/पब्लिक नॉटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र (10 ₹0 मूल्य) में यह घोषणा करनी होगी कि उसने इन वर्षों में क्या किया?
4. नियमों का उल्लंघन करने, अपूर्ण नामांकन पत्र जमा करने (पूर्ण रूप से पूरित न होने पर), पूर्ण हस्ताक्षरित न होने (प्रत्याशी/प्रस्तावक/अनुमोदक के हस्ताक्षर) अथवा पूर्ण सूचना न देने की स्थिति में नामांकन पत्र रद्द होने पर किसी भी प्रकार की क्षति के लिए प्रत्याशी पूर्णतः स्वयं उत्तरदायी होंगे।
5. कोई भी प्रत्याशी एक से अधिक पदों पर चुनाव नहीं लड़ सकता है, यदि कोई भी प्रत्याशी एक से अधिक पदों पर नामांकन करता है तथा नाम वापसी की अन्तिम तिथि तक अन्य पदों से अपना नाम वापस नहीं लेता है, तो समस्त पदों से उसका नामांकन निरस्त कर दिया जायेगा।
6. स्नातक कक्षाओं के प्रत्याशियों की आयु दिनांक 01.07.2025 को 17 से 22 वर्ष तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रत्याशियों की अधिकतम आयु 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
7. महाविद्यालय/विश्वविद्यालय या न्यायालय द्वारा दण्डित छात्र/छात्रा, छात्र संघ के किसी भी पद का चुनाव नहीं लड़ सकेगा/सकेगी। उक्त के संबंध में शपथ पत्र ₹0 10 के स्टाम्प पेपर पर देना होगा।
8. निर्वाचित छात्र संघ का कार्यकाल शैक्षणिक सत्र 2025-26 होगा।
9. एकल विषय वाले छात्र/छात्रा मतदान का प्रयोग नहीं कर सकेंगे।
10. लिंगदोह समिति में वर्णित नियम 6.5.4 के अनुसार किसी भी सेमेस्टर में पूर्ण क्रेडिट संख्या से कम होने/शैक्षणिक अवशेष होने पर छात्र/छात्रा किसी भी पद के लिए प्रत्याशी नहीं होगा।
11. लिंगदोह समिति के प्रस्तावित नियम 6.7.5 के अनुसार किसी भी प्रत्याशी एवं उनके कार्यकर्ता को किसी भी प्रकार की प्रिंटेड सामग्री, पोस्टर तथा पम्पलेट आदि का प्रयोग करना पूर्णतः वर्जित है।
12. श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के अनुसार चुनाव प्रचार हेतु प्रत्येक प्रत्याशी को ₹0 25000/- (₹0 पच्चीस हजार मात्र) से अधिक की धनराशि व्यय करने का अधिकार नहीं होगा अधिक धन व्यय करने पर प्रत्याशी का निर्वाचन रद्द किया जायेगा।
13. प्रत्येक प्रत्याशी को चुनाव परिणाम की घोषणा के दो सप्ताह के अन्दर अपने सम्पूर्ण चुनाव खर्च का प्रमाणित लेखा-जोखा मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
14. सम्पूर्ण चुनाव प्रक्रिया लिंगदोह समिति की संस्तुतियों एवं विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर छात्रसंघ गठन सम्बन्धी संविधान के अधीन सम्पन्न कराई जायेगी।
15. यदि किसी पद के लिए दो प्रत्याशियों के समान मत होते हैं तो विजेता प्रत्याशी का चयन टॉस के द्वारा किया जायेगा और यदि किसी भी पद के लिए दो से अधिक प्रत्याशियों को समान मत मिलते हैं तो उस स्थिति में लॉटरी (ड्रा) प्रक्रिया अपनाकर विजेता घोषित किया जायेगा।
16. लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुसार प्रत्येक प्रत्याशी को कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थिति का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह घोषणा करनी होगी कि प्रत्याशी अपनी वर्तमान कक्षा में प्रवेश की तिथि से चुनाव हेतु नामांकन दाखिला करने की तिथि तक 75 प्रतिशत उपस्थित रहा/रही है तथा भविष्य में भी 75 प्रतिशत उपस्थित रहेगा/रहेगी। अन्यथा की स्थिति में महाविद्यालय द्वारा सम्बन्धित प्रत्याशी का नामांकन रद्द कर दिया जायेगा।

17. चुनाव के दौरान प्रत्याशियों और उनके समर्थकों द्वारा महाविद्यालय परिसर में और परिसर के बाहर जुलूस निकालना, जनसभा करने अथवा प्रचार (लाउडस्पीकर, वाहन और पशुओं का प्रयोग) करने की अनुमति नहीं होगी।
  18. छात्रसंघ में कार्यकारिणी के छः पद महाविद्यालय स्तर पर मनोनयन के आधार पर भरे जायेंगे। जिसके लिए दो छात्र/छात्राएँ (एक पद स्नातक तथा एक पद स्नातकोत्तर स्तर पर) महाविद्यालय स्तर पर क्रम से टॉपर हेतु आरक्षित होंगे। दो पद (एक पद स्नातक तथा एक पद स्नातकोत्तर स्तर पर) खेल-कूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों हेतु आरक्षित होंगे तथा दो पद (एक पद स्नातक तथा एक पद स्नातकोत्तर स्तर पर) एन0सी0सी0/एन0एस0एस0/सांस्कृतिक कार्यक्रमलाप आदि में अन्तर महाविद्यालयी, विश्वविद्यालयी, राज्य, राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट उपलब्धी प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होंगे।
  19. प्रत्याशियों के गतवर्ष की परीक्षा में कोई अवरोध/शैक्षणिक अवशेष नहीं होना चाहिए।
  20. चुनाव प्रचार हेतु प्रत्याशियों द्वारा केवल हस्त निर्मित प्रचार सामग्री का प्रयोग किया जाएगा।
  21. प्रत्येक प्रत्याशी के पास महाविद्यालय के छात्र संघ पदाधिकारी के रूप में चुनाव लड़ने हेतु मात्र एक अवसर तथा विश्वविद्यालय प्रतिनिधि सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने हेतु कुल 02 अवसर होंगे।
  22. कतिपय छात्र/छात्राओं द्वारा छात्र संघ चुनाव हेतु विगत सत्र में बैक अथवा अनुत्तीर्ण होने के कारण पुनः सम्बन्धित संकाय, संकाय परिवर्तन एवं विषय परिवर्तन कर स्नातक अथवा स्नातकोत्तर के प्रथम सेमेस्टर में एन0ई0पी0 2020 के तहत प्रवेश लिया गया हो तो ऐसे छात्र/छात्राओं के सन्दर्भ में श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय बादशाहीथौल टिहरी गढ़वाल द्वारा दिनांक 18/09/2025 को आहूत बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार छात्र संघ चुनाव 2025-26 लड़ने हेतु अर्ह नहीं माना जायेगा।
  23. सभी प्रत्याशियों से इस आशय का अनुबन्ध पत्र लिया जायेगा कि उनके द्वारा लिंगदोह समिति की सिफारिशों एवं विश्वविद्यालय संविधान 2024-25 एवं 2025-26 का पालन किया जायेगा। यदि उनके द्वारा समिति की सिफारिशों का उल्लंघन किया जाता है तो उनका चुनाव हेतु नामांकन/चुनाव निरस्त कर दिया जाए।
  24. किसी भी स्थिति में ग्रीवांस समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।
  25. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, कोषाध्यक्ष एवं विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद हेतु नामांकन शुल्क ₹ 2500/- निर्धारित हैं। जबकि नामांकन प्रपत्र शुल्क समस्त पदों हेतु ₹ 500/- निर्धारित है।
- नोट:- निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों तथा उनके समर्थकों द्वारा आचार संहिता का पालन न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने तथा नामांकन निरस्त करने का पूर्ण अधिकार निर्वाचन समिति के पास सुरक्षित होगा।

(प्रो० पुष्पा नेगी)  
प्राचार्य

(डॉ० जयेन्द्र सिंह सजवाण)  
मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
छात्रसंघ निर्वाचन- 2025-26  
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय  
नई टिहरी, टि०ग०।

पृ०सं० 408-15 / मु०नि०अ०/छा०सं०नि०/2025-26 तददिनांक।

प्रतिलिपि सादर सूचनार्थ :

1. जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल।
2. पुलिस अधीक्षक टिहरी।

3. उप जिलाधिकारी टिहरी।
4. पुलिस उपाधीक्षक टिहरी।
5. थानाध्यक्ष, नई टिहरी।
6. मुख्य शास्ता राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नई टिहरी।
7. अभिसूचना ईकाई (एल0आई0यू0) टिहरी।
8. सूचना पट्ट।
9. ग्रीवांस समिति।
10. सम्पादक/संवाददाता दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिन्दुस्तान टाइम्स, राष्ट्रीय सहारा, हिन्दी/अंग्रेजी पंजाब केसरी, ईटी0वी0, सहारा समय, टी0वी0 100, समाचार प्लस, जैन न्यूज, साधना टी0वी0, जैन टी0वी0 को इस आषय के साथ प्रेशित कि उक्त सूचना को छात्र हित में अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में निषुल्क छापने/प्रसारित करने की कृपा करेंगे।
11. गार्ड फाईल।
12. वैयक्तिक सहायक (प्राचार्य)।
13. संयोजक वेबसाइट।



(प्रो० पुष्पा नेगी)  
प्राचार्य



(डॉ० जयेन्द्र सिंह सजवान)  
मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
छात्रसंघ निर्वाचन- 2025-26  
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय  
नई टिहरी, टि०ग०।